न्यायालय– एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।

ए.बी.पी.न0–148/2026
तरैयां थाना कांड सं0–306/2025

पवन गिरि बनाम् बिहार राज्य

23.03.2026 आवेदक अभियुक्त पवन गिरि की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–148/2026, तरैयां थाना कांड संख्या 306/2025, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118,352,351,303(2),3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन भारती एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन के अनुसार आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि घटनातिथि को सूचक का लड़का अंकित कुमार अपने साथी कुणाल कुमार गिरि के साथ पचड़ौर बाजार से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में पूर्व से जान मारने के नियत से घात लगा कर बैठे अपने दुकान के सामने पवन गिरि, करण कुमार गिरि, नवीन कुमार गिरि व तीन–चार अज्ञात पूर्व रंजीश को लेकर सूचक के लड़का को घेर लिया जब सूचक का लड़का बोला ऐसा क्यों कर रहे हो इसी पे सभी लोग लाठ, लोहे के रॉड से मारने लगे जिससे अंकुश कुमार का आंख एवं नाक के बीच कट गया। इसी क्रम में पवन गिरि ने सूचक के लड़का के गर्दन से सोना का सिकड़ी निकाल लिए है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को व्यक्तिगत और ग्राम स्तरीय विवाद के कारण झूंठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। अभियोजन मामला सामान्य और व्यापक आरोपों पर आधारित है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी तरैयां थाना कांड संख्या 306/2025, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118,352,351,303(2),3(5) भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–11 में आवेदक के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी में कहीं भी जख्म प्रतिवेदन के संबंध में अंकित नहीं है। जहां तक आवेदक के विरूद्ध सोने का चैन निकालने का आरोप है तो कांड दैनिकी के कंडिका–21 में साक्षी बसंत गिरी का बयान है जिसमें उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य के क्रम में कहा है कि मैंने किसी को सोने का चैन निकालते नहीं देखा। आवेदक पर समान आरोप लगाया गया है कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्त द्वारा कारित अपराध एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को निम्न शर्तो पर जमानत पर मुक्त किया

जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त पवन गिरि के द्वारा इस आदेश से 25 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किये जाने पर उक्त आवेदक अभियुक्ता को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर भा0ना0सु0स0 की धारा 482(2) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदक का रक्त संबंधी होगा, के शर्तो के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।